(88)

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

॥श्री॥

प्रकरण क्रमांक :- R PBR/2018
प्रस्तुति दिनांक : 04/09/2018

:: न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) ::

निगरानी- 5391/2018/धार/भू.रा

श्री टी.टी. गुप्ता (एड.) द्वारा आज दि० 04/09/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 4-9-18

टी.टी. गुप्ता (ए.) 4-9-18
टी.टी. (गुप्ता) (ए.)

(1)- दिनेश पिता सारवन्या, आयु (35) वर्ष,
(2)- शंकर पिता सारवन्या, आयु (32) वर्ष,
(3)- अनुबाई पिता सारवन्या, आयु (38) वर्ष, :अडती सवर्स:
(4)- शांतिबाई पुत्री सारवन्या, आयु (60) वर्ष,
(5)- सोमलीबाई बेवा हीरा, आयु (80) वर्ष,
सभी जाति भील, धन्दा कृषि, निवासीगण
ग्राम कपास्थल :बयड़ा : तहसील सरदारपुर
जिला धार (मध्य- प्रदेश) :----- प्रार्थीगण

(बनाम)

(1)- रामेश्वर पिता छोगालाल, आयु (50) वर्ष ,
(2)- अशोक पिता छोगालाल, आयु (48) वर्ष,
दोनों जाति तेली, निवासीगण केशरपुरा तेली,
तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.)---विपक्षीगण

:: निगरानी अर्ज धारा (50) भू. राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवरमहोदय,

श्रीमान् की सेवा में प्रार्थीगण की ओर से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि विपक्षीगण ने ग्राम कपास्थल, पटवारी हल्का नम्बर (86) तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) की भूमि खसरा नम्बर 1116 रकबा 2.516 हेक्टर में आने- जाने के रास्ते के लिये एक कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) के न्यायालय में धारा 131, 132 म.प्र. भू. राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत की जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 22/2016-17×31/13 परदर्ज हुई उसमें अंतरिम आदेश पारित करने बाबद एक आवेदन-पत्र विपक्षीयों ने प्रस्तुत किया उसआवेदन के संबंध में तथा मौके के संबंध में तहसीलदार महोदय, ने न तो स्वयं स्थल निरीक्षण किया न विधीवत स्थल निरीक्षण के लिये कोई सूचना

....

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/5391/2018/धार/भू.रा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	